

[22/7/2026] 179

प्रश्न सं. [क. 1516]

परिशिष्ट-अ-4 पृष्ठ 1
विधानसभा प्रश्न क्र० 1516 तारांकित
विधायक माननीय श्री हरिशंकर खटीक
राज्य शासन का अंतिम दिनांक 14.7.2026
सदन में उत्तर देने का दिनांक 22.7.2026

मध्यप्रदेश शासन
चिकित्सा शिक्षा विभाग
मंत्रालय

// आदेश //

भोपाल दिनांक /07/2023

क्रमांक: एफ 2/1/6/0006/2023/55-2, राज्य शासन एतद् द्वारा खरगौन, धार, भिण्ड, बालाघाट, टीकमगढ़ तथा सीधी जिलों में 100 एम.बी.बी.एस सीट प्रवेश क्षमता के नवीन चिकित्सा महाविद्यालयों की स्थापना किए जाने की सैद्धांतिक सहमति प्रदान की जाती है।

2/- यह स्वीकृति मंत्रि-परिषद् के आदेश दिनांक 28.06.2023 द्वारा दी गई सहमति के अनुक्रम में जारी की जाती है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से

तथा आदेशानुसार,

(बबीता वसुनिया)

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन

चिकित्सा शिक्षा विभाग

भोपाल, दिनांक 5/07/2023

860/एफ 2/1/6/0006/2023/55-2,
प्रतिलिपि:-

1. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश शासन, मुख्यमंत्री कार्यालय, म.प्र. भोपाल।
2. विशेष सहायक, माननीय मंत्री, मध्यप्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग, म.प्र. भोपाल।
3. उप सचिव, मुख्य सचिव, कार्यालय, मंत्रालय, भोपाल।
4. निज सचिव, अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
5. निज सचिव, प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
6. निज सचिव, अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग, मंत्रालय।
7. निज सचिव, उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग, मंत्रालय।

1. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
2. संभागायुक्त, संभाग, इन्दौर, चंबल, जबलपुर, रीवा, सागर मध्यप्रदेश।
3. आयुक्त, चिकित्सा शिक्षा, मध्यप्रदेश, भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
4. कलेक्टर, जिला खरगौन, टीकमगढ़, धार, भिण्ड, बालाघाट, सीधी मध्यप्रदेश।
5. संचालक, चिकित्सा शिक्षा, रातपुडा भवन, भोपाल।
6. अपर संचालक (वित्त), संचालनालय चिकित्सा शिक्षा, मध्यप्रदेश भोपाल।
7. अधिष्ठाता, चिकित्सा महाविद्यालय, इन्दौर, ग्वालियर, जबलपुर, रीवा, सागर, मध्यप्रदेश।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

8. गार्ड फाईल।

05.07.2023

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन

चिकित्सा शिक्षा विभाग

Dy. Director (Prof. & Dev.)
Public Health & Medical Education
Madhya Pradesh

1

परिशिष्ट-ब पेज-1

विधानसभा प्रश्न क्र० 1516 तारांकित

विधायक माननीय श्री हरिशंकर खटीक

राज्य शासन का अंतिम दिनांक 14.7.2026

सदन में उत्तर देने का दिनांक 22.7.2026

विषय :- पी.पी.पी. मॉडल पर नवीन चिकित्सा महाविद्यालय स्थापित किये जाने के संबंध में।

दिनांक 09.07.2024 को शासन से प्राप्त निर्देशों के अनुक्रम में पी.पी.पी. मॉडल पर नवीन चिकित्सा महाविद्यालय स्थापित करने की कार्यवाही पुनः आरंभ की जानी है। पूर्व में प्रकाशित निविदा को तत्समय बिना किसी संशोधन के, परंतु व्यापक प्रचार-प्रसार कर पुनः प्रकाशित किये जाने के निर्देश है। पूर्व में यह निविदा केवल कटनी, मुरैना एवं पन्ना जिले में पी.पी.पी. मॉडल पर चिकित्सा महाविद्यालय स्थापित करने हेतु प्रकाशित की गई थी।

प्रदेश के 06 अन्य जिलों में चिकित्सा महाविद्यालय क्रमशः बालाघाट, भिण्ड, धार, खरगौन, सीधी, टीकमगढ़ स्थापित करने की सैद्धांतिक सहमति प्राप्त है। उक्त जिलों में भी पी.पी.पी. मॉडल पर चिकित्सा महाविद्यालय आरंभ करने के निर्देश दिये गये हैं। उपरोक्त निर्देशों के अनुक्रम में इस परियोजना हेतु चयनित कंसलटेंट मेसर्स पी.डब्ल्यू.सी. को उपरोक्तानुसार सभी जिलों के लिये निविदा प्रपत्र बनाने एवं सिविल विंग को निविदा एम.पी. टेण्डर पोर्टल पर अपलोड करने एवं व्यापक प्रचार-प्रसार करने हेतु उच्च स्तर पर दिये गये निर्देश के अनुक्रम में अनुमोदन हेतु प्रस्तुत।

JKP

आयुक्त चिकित्सा शिक्षा

अपर मुख्य सचिव
लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग

उपरोक्त प्रस्ताव के

स्थापन हेतु के सी लिकेचर

को, तथा निविदा जमा की।

अपर मुख्य सचिव

मध्य प्रदेश शासन

लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग

10/7

राजेंद्र शुक्ल

उप मुख्यमंत्री
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण
चिकित्सा शिक्षा
मध्य प्रदेश

Dy. Director (Proj. & Dev.)
Public Health & Medical Education
Madhya Pradesh

Issue tender.

Vipul PMU

आज ही।

PR (Project) 11/7